

## निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (120) निकाशि/अनु/06-07/544

दिनांक:- 2-1-14

### आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन अनुसार अकादमी सत्र 2013-14 से निम्न महाविद्यालय को स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

पत्रा.सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	विश्वविद्यालय का नाम	आवंटित विषय/ संकाय
120	बी.आर. मेमोरियल महिला महाविद्यालय, दुर्जनियावास चाया कालवाड, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्ण संचालित विषय/ संकाय

1. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में वी०सी०आई० से मन्व्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
2. संकाय/ विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
3. संबंधित संस्था द्वारा भूमि कर्पांतरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
4. महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सभ्य स्वामिनीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
5. निदेशालय द्वारा संस्था का प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निरीक्षण करवाया जायेगा।
6. संस्था द्वारा यूजीसी शैक्षणिक प्रदर्शन व व्याख्यात तथा अन्य अर्थसांगिक स्टाफ को नियुक्ति की जानी होगी।
7. संबंधित विश्वविद्यालय से स्टाफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
8. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. संस्था निदेशालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेगी।
10. मापदण्डों की पूर्ण जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट [www.collegeeducation.rajasthan.gov.in](http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
11. संस्था द्वारा एन०एस०एस/एन०सी०सी/संगठित एवं रोजरिंग (स्काउट/गार्ड) में से किसी भी एक सहैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इतकी सूचना सर्वोच्चतम एन०एस०एस०, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित 31 दिसम्बर, 2013 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेगी।
12. राज्य सरकार की महाविद्यालय सम्बन्धी प्रवेश नीति 2013-14 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

निदेशक,  
कालेज शिक्षा, राज०, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्रालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सचिव, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रायली।

संयुक्त निदेशक (निजी संस्थायें)

बी.आर. मेमोरियल विद्यालय सचिव  
दुर्जनियावास चाया कालवाड जयपुर-303708